(78)

## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 7086–पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–3–2017 पारित द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प जिला हरदा प्रकरण कमांक 37/बी–103/48–ख/2015–16.

---

जगदीश नारायण शुक्ला पुत्र स्व. राममनोहर शुक्ला
निवासी ए–467, शाहपुरा, भोपाल .....आवेदक

**विरूद्ध**

म.प्र. शासन द्वारा जिला पंजीयक (मुद्रांक) हरदा .....अनावेदक

---

श्री आर0डी0 पटेल, अभिभाषक, आवेदक

---

:: आ दे श ::

**(आज दिनांक 13/11/17 को पारित)**

आवेदक द्वारा यह निगरानी भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56 के अंतर्गत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, जिला हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–3–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक एवं नगर पालिका परिषद होशंगाबाद द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी, हरदा के मध्य ग्राम हरदा की परिवर्तित भूमि खसरा नम्बर 201/2 एवं 201/4 रकबा 1.619 हेक्टयर का बंधक पत्र मुद्रांक शुल्क 100/– रूपये पर निष्पादित किया जाकर उक्त बंधक विलेख द्वारा भूमि पर कॉलौनी बनाने एवं विकास करने की अनुमति प्राप्त की गई । कॉलौनी के विकास की निश्चित्ता हेतु शासकीय रूप में स्वीकृत अभिन्यास भूखण्ड विकसित किये जाने वाले कुल भूखण्डों के 25 प्रतिशत की संख्या में भूखण्ड नगर पालिका के पास कुल 29 भूखण्डों को बंधक रखा गया। महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर के निरीक्षण दल द्वारा ली गई आपत्ति के आधार पर कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण कमांक 37/बी–103/48–ख/2015–16 दर्ज कर दिनांक 30–3–2017 को आदेश पारित कर प्राक्कलित व्यय राशि 91,34,000/– मान्य किया

जाकर कमी मुद्रांक शुल्क रूपये 91,240/–एवं अर्थदण्ड रूपये 58,760/– कुल राशि 1,50,000/– रूपये जमा करने के आदेश दिये गये । कलेक्टर आफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा मुद्रांक शुल्क हेतु नियत किया गया आंकलन विधि विपरीत बताया गया था और आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का रूपये 91,34,000/– का प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया था, जिसका सुपरविजन चार्ज नगर पालिका परिषद में रसीद कमांक 326 दिनांक 7–5–2013 को रूपये 1,82,300/– चैक कमांक 135321 दिनांक 17–4–2013 द्वारा जमा किया गया है ।

(2) आवेदक द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी के समक्ष विकास अनुमति प्राप्त की थी और मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा ही रूपये 100/– के स्टाम्प पर बंधक विलेख निष्पादित किया गया था ।

(3) आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत किया गया था कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्राक्कलन के अनुबन्ध निष्पादित किया गया था तथा सुपरविजन चार्ज रूपये 1,82,300/– जमा किया गया था । यदि मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा निष्पादित लिखत बंधक विलेख के पंजीयन कराये जाने के सम्बन्ध में आवेदक को जानकारी दी जाती तो आवेदक आवश्यक रूप से लिखित बंधक विलेख का पंजीयन करा लेता । आवेदक द्वारा अज्ञानता के कारण मुद्रांक शुल्क जमा नहीं सका है ।

(4) प्रश्नाधीन भूमि की समस्त अनुमतियां प्राप्त होने के बावजूद भी आवेदक द्वारा किसी प्रकार से विकास कार्य नहीं किया गया है और न ही कोई भी भूखण्ड विकय किया गया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का बगैर भौतिक सत्यापन किये मात्र दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(5) आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर आज दिनांक तक किसी प्रकार से विकास कार्य नहीं किया गया है और न ही उक्त भूमि को सम्पूर्ण रूप से या भूखण्ड के रूप में किसी भी व्यक्ति का संस्था को विकय किया गया है । प्रश्नाधीन भूमि आज भी अविकसित रूप से

विद्यमान है, जिस कारण आवेदक पर लगाये गये प्रभार को विकसित किये जाने के समयावधि तक किसी प्रकार से मुद्रांक शुल्क न वसूला जाये, क्योंकि उसके द्वारा किसी पकार से न तो विकास कार्य किया गया है और न ही निकट भविष्य में प्रश्नाधीन भूमि को विकसित किये जाने की कोई संभावना है, क्योंकि आवेदक के पास वित्तीय व्यवस्था नही है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाये ।

4/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर के निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण में यह पाया गया है कि प्राक्कलित व्यय रूपये 91,34,000/– हुआ है, जिस पर कमी मुद्रांक शुल्क रूपये 91,240/– देय है । अतः कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा रूपये 91,240/– मुद्रांक शुल्क निर्धारित करने एवं आवेदक द्वारा कर अपवंचन किये जाने के कारण रूपये 58,760/– की शास्ति अधिरोपित किया जाकर कुल राशि 1,50,000/– जमा करने के आदेश देने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, इसलिए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, जिला हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–3–2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर